# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

**बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस**

प्रकरण सं. 21/2023/दावा

विनोद बनाम विमला आदि

आवेदन अर्न्तगत धारा 10 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.
दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1. श्री अतुल चौधरी, वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से
2. श्री जयपाल सिंह ओलखा, वकील जवाबदाता/वादी की ओर से

## आदेश

दिनांक– 28.07.2025

वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रतिवादी/अप्रार्थी फूलचन्द द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा व आवेदन खसरा सं. 570 रकबा 2.4500 हेक्टेयर वाके ग्राम आसपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के सम्बंध में पेश किया गया था, उक्त कृषि भूमि के बाबत महेश पुत्र हरदेवाराम द्वारा भी एक दावा व आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उक्त दोनों दावों व आवेदनों को माननीय न्यायालय द्वारा एक ही सहायता (रिलिफ) होने के कारण दोनों दावों को व आवेदनों को कन्सोंलडेट कर दिया गया तथा बंटवारा के दावे होने के कारण प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी। उक्त दावों में वादी विनोद पुत्र हरदेवाराम प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित था तथा वादी विनोद कुमार की ओर से अभिवक्ता भी उपस्थित हो गया था तथा महेश बनाम फूलचन्द व फूलचन्द बनाम महेश में जारी पीडी में वादी विनोद कुमार की ओर से सहमति प्रदान कर दी गयी थी। इस तथ्य का विनोद कुमार को ज्ञान था कि भूमि खसरा सं. 570 के सम्बंध में न्यायालय में पहले से दावा व आवेदन चल रहा है। उसके बावजूद उक्त दावे में समान पक्षकार व समान सहायताएँ चाही गयी है। इसलिए उक्त दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि कानून की दृष्टि से दावा/आवेदन बाधित होने के कारण उक्त दावा विनोद बनाम विमला वगैरह की पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्थगित किये जाने की कृपा करें।"

आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील जवाबदाता/वादी को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/वादी ने उक्त आवेदन का जवाब पेश न कर सीधी बहस का अनुरोध किया।

बहस उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 3 ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत दावा के समान पक्षकारों, समान आराजियात व समान अनुतोष के संबंध में पूर्व में वाद के चलने के कारण हस्तगत दावा विधिसम्मत नहीं होने से आगे नहीं चलने के कारण हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित/ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/वादी ने बहस के दौरान अपने दावें में दर्ज मुख्य तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया वादी द्वारा प्रस्तुत दावा विधिनुसार पेश किया गया है। अतः वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 3 का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत हस्तगत वाद वादी द्वारा वर्ष 2023 में बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया गया, जो कि न्यायालय हाजा में पेश होने पर दिनांक 10.02.2023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 16:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत वाद के साथ एक बउनवान टी.आई. आवेदन मु. सं. 16/2023 पेश होने पर उसी दिनांक को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में वर्णित आराजियात के बाबत राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। हस्तगत दावा व टी.आई. आवेदन में वर्णित आराजियात, पक्षकारान व अनुतोष (बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा) के समान ही एक पूर्ववर्ती वाद सं. 31/2019 उनवान फूलचन्द बनाम महेश आदि (जिसके साथ तत्समय पश्चात्वर्ती वाद सं. 39/2020 बउनवान महेश बनाम फूलचंद आदि समेकित है) तथा प्रार्थना–पत्र अ.धारा 212 आर.टी.ए., 1955 मु.सं. 23/2019 समान उनवान के अनुसार (जिसके साथ तत्समय पश्चात्वर्ती टी.आई. आवेदन सं. 28/2020 बउनवान महेश बनाम फूलचंद आदि समेकित है) न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। इस प्रकार से वर्णित प्रकरण दावों तथा टी.आई. आवेदनों में समान आराजियात, पक्षकारान व अनुतोष के होने के संबंध में यह भी तथ्य सामने आये है कि उक्त वर्णित प्रकरणों में वादीपक्ष/प्रार्थीपक्ष के अभिभाषक भी समान है, जिनकों पूर्व वाद व टी.आई. आवेदन की जानकारी होने के बावजूद भी पूर्व से वर्ष 2019 व 2020 से ही प्रकरणों के चलने के बावजूद भी वर्ष 2023 में नये दावे व टी.आई. आवेदन को पेश करने से न्यायालय का समय जाया करने की मंशा भी जाहिर होती है। साथ ही पूर्व के विचाराधीन प्रकरणों (2 दावा व 2 टी.आई. आवेदन कुल 4 पत्रावलियां) में वर्णित आराजियात के संबंध में न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 30.03.2022 को उभयपक्षों को सुना जाकर विधिनुसार पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2022/2232 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसके बहस में पत्रावली लंबित है। उक्त के बावजूद पूर्व में टी.आई. स्थगन प्राप्त होने पर भी हस्तगत दावे से संबंधित टी.आई. आवेदन सं. 16/2023 में अंतरिम स्थगन प्राप्त किया है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। सीपीसी के आदेश अन्तर्गत 10 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेख है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 के प्रावधान आज्ञापक है, जिस न्यायालय में पश्चात् में वाद संस्थित हुआ है उसके विचारण का वर्जन है। पहले वाला वाद तंग करने हेतु संविदा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संस्थित हुआ था, के आधार पर धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू होने से रोके नहीं जा सकेंगे। अभिनिर्धारित सिविल और राजस्व न्यायालयों को अपनी–अपनी अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए तत्पश्चात् हुए वाद के संचरण पर रोक लगानी चाहिये।" उक्त प्रावधानों के आलोक में वादीगण का हस्तगत दावा अ.धारा 10 सी.पी.सी. में विहित प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है। साथ ही सीपीसी की धारा 10 के अन्तर्गत यह भी उल्लेखित है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10– यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वादों में राहत एक समान हो। विवादित मामला दोनों वादों में प्रत्यक्षतः और सारतः एक जैसा होना चाहिए। किसी वाद की कार्यवाही न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत रोकी जा सकती है, यद्यपि मामला इस धारा के अंतर्गत पूर्णतः कवर नहीं हो सकता है।" इस प्रकार से वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत विधि द्वारा वर्जित होना जाहिर है। अतः वादी का वाद विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 3 का आवेदन अन्तर्गत आदेश 10 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का दावा इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:55:54 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)